


15/12/17 वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अतः उभयपक्ष की सहमति अनुसार प्रार्थना पत्र 02219 CPC स्वीकार किया जाकर इवेन्ट डाफ्त कर वाडी गोपाली के वाटसान को वाड में प्रतिस्थापित कर वाड को पुनः नम्बर पर लेने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली कैशल नुमार होकर मूल दावा की पत्रावली के साथ संलग्न रहे।


उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)